<u>आवश्यक/प्राथमिकता</u>

<u>संख्या:91/2024/1865/2023/1849893/12-2099/223/2024</u>

प्रेषक,

रविन्द्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 24 दिसम्बर, 2024**

विषय:- जनपद चन्दौली में परिवहन निगम के बस डिपो/कार्यशाला के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि मौजा हिनौता उर्फ जगदीशसराय परगना, मझवार आ0न0-469मि0 रकबा-0.144 हे0 एवं मौजा बाघो परगना मझवार आ0न0-13मि0 रकबा-1.408 हे0 कुल क्षेत्रफल 1.552 हे0 भूमि परिवहन विभाग को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या:एस0एफ0/1239.जी/एल.टी./2023-24 दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या:17429218/30-1099/119/2023 दिनांक 14 नवम्बर, 2023 के क्रम में जनपद चन्दौली में परिवहन निगम के बस डिपो/कार्यशाला के निर्माण हेतु तहसील चन्दौली में मौजा हिनौता उर्फ जगदीशसराय परगना, मझवार आ0न0-469मि0 रकबा-0.144 हे0 एवं मौजा बाघो परगना मझवार आ0न0-13मि0 रकबा-1.408हे0 की चिन्हित भूमि परिवहन विभाग को उपलब्ध कराये जाने के परिप्रेक्ष्य में आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त जनपद चन्दौली, तहसील चन्दौली में मौजा हिनौता उर्फ जगदीशसराय परगना, मझवार आ0न0-469मि0 रकबा-0.144 हे0 एवं मौजा बाघो परगना मझवार आ0न0-13मि0 रकबा-1.408हे0 कुल 02 गाटा, क्षेत्रफल 1.552 हे0 भूमि को परिवहन विभाग के पक्ष में नि:शुल्क नामांतरण/हस्तान्तरण किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. कृपया तदनुसार प्रश्गनत भूमि के हस्तांतरण के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या: 91(1)/2024/1865/2023/1849893/12-2099/223/2024 तद्दिनांक।</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, जनपद चन्दौली।
9. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गुन्जन दुबे

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।